BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 05 मार्च 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने की नियत से अपहरण करने के 02 आरोपियों को 05-05 वर्ष का कारावास व 20-20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्तगण रामा पुत्र जगदीश व मोन्टी पुत्र श्यौराज निवासिगण ग्राम धनुआ थाना जारचा जनपद गौतमबुद्धनगर द्वारा वर्ष-2016 में आदिल निवासी कस्बा बुगरासी थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर का हत्या करने की नियत से अपहरण करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 02.08.2016 को थाना नरसैना पर मुअसं-172/2016 धारा- 364 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 26.10.2016 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 06 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 05.03.2024 को मा0 न्यायालय एफटीसी-03, बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त रामा व मोन्टी को 05-05 वर्ष का कारावास व 20-20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री ध्रुव कुमार वर्मा व श्री भूपेन्द्र राजपूत का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर